सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

31 वैशाख, 1933 शकाब्द

संख्या 324 रॉंची, शनिवार 21 मई, 2011

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

अधिसूचना

4 मई, 2011

संख्या 1227—विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 53(1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली अधिसूचित करते है :—

1— **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :—

(i) यह नियमावली झारखण्ड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2011 कहलाएगी ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) यह अप्रैल, 2011 की पहली तारीख से प्रवृत होगी।

2— **परिभाषाएँ** :— इस नियमावली में जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) ''अधिनियम '' से अभिप्रेत है विधिक माप विज्ञान, अधिनियम 2009

(ख) " निर्देश मानक प्रयोगशाला " से अभिप्रेत है विधिक माप विज्ञान अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित प्रयोगशाला जहाँ निर्देश मानक, द्वितीय मानक और कार्यकारी मानक बनाए रखे जाते है।

(ग) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस नियमावली से संलग्न अनुसूची।

(घ) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए नियत हैं ।

3– **निर्देश मानक** :– निर्देश मानक ऐसे स्थान में, ऐसी रीति में और ऐसी अभिरक्षा में रखे जायेंगे जो विधिक माप विज्ञान (राष्ट्रीय मानक) नियमावली, 2011 के अधीन विहित की जाए ।

4– **द्वितीयक मानक** :– (1) प्रत्येक द्वितीयक मानक को किसी भी निर्देश मानक प्रयोगशाला में ऐसी रीति से और ऐसे नियत कालिक अन्तरालों पर जो विधिक माप विज्ञान (राष्ट्रीय मानक) नियमावली, 2011 के अधीन विहित किए जाएँ, सत्यापित किया जाएगा और यदि ऐसे सत्यापन पर यह पाया जाता है, कि वह उस अधिनियम या उसके अधीन मानकों के अनुरूप है तो वह निर्देश मानक प्रयोगशाला के प्रयोगशाला भारसाधक द्वारा स्टाम्पित किया जाएगा।

(2) सत्यापित द्वितीयक मानक ऐसे स्थान में और ऐसी अभिरक्षा में रखे जाएँगे जैसा नियंत्रक निदेश दें ।

5– **कार्यकारी मानक** :– (1) प्रत्येक कार्यकारी मानक किसी भी निर्देश मानक प्रयोगशाला में या किसी भी ऐसे स्थान में जहाँ द्वितीयक मानक राज्य सरकार द्वारा बनाए रखे जाते है , ऐसी रीति से और ऐसे नियत कालिक अन्तरालों पर, जो विधिक माप विज्ञान (राष्ट्रीय मानक) नियमावली, 2011 के अधीन विहित किए जाएं, सत्यापित किया जाएगा और यदि वह उस अधिनियम या उसके अधीन नियत मानकों के अनुरूप पाया जाता है तो, यथास्थिति निर्देश मानक प्रयोगशाला के प्रयोगशाला भार साधक द्वारा या नियंत्रक द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जो नियंत्रक द्वारा इस निमित प्राधिकष्त किया जाए, स्टाम्पित किया जाएगा ।

(2) सत्यापित कार्यकारी मानक विधिक माप विज्ञान अधिकारियों की अभिरक्षा में रखे जाएँगे ।

(6) **द्वितीयक मानक तुलाऐं** :– (1) द्वितीयक मानक तुलाओं का एक सेट प्रत्येक ऐसे स्थान पर अनुरक्षित रखा जाएगा जहां द्वितीयक मानक वाट रखें जाते है ।
(2) ऐसी तुलाओं की संख्या, किस्में और विनिर्देश ऐसे होगें जो विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 द्वारा विहित किए जाए ।
(3) प्रत्येक द्वितीयक मानक तुला वर्ष में कम से कम एक बार सत्यापित की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो अधिनियम के अधीन विहित सुग्राहिता सीमाओं और अन्य मापकीय क्वालिटी के भीतर सही करने के लिए उसका, निर्देश मानक प्रयोगशाला के प्रयोगशाला भार साधक द्वारा या नियंत्रक द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जो नियंत्रक द्वारा इस निमित प्राधिकृत किया जाए, समंजन किया जाएगा ।

(7) **कार्यकारी मानक तुलाऐं** :– (1) कार्यकारी मानक तुलाओं का एक सेट ऐसे प्रत्येक स्थान पर अनुरक्षित रखा जाएगा जहां कार्यकारी मानक वाट रखे जाते हैं ।
(2) ऐसी तुलाओं की संख्या , किस्में और विनिर्देश ऐसे होगें जो विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 के अधीन विहित किए जाएं ।
(3) प्रत्येक कार्यकारी मानक तुला का वर्ष में कम से कम एक बार सत्यापन किया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो उसे विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 के अधीन विहित सुग्राहिता सीमाओं और अन्य मापकीय क्वालिटियों के भीतर सही करने के लिए निर्देश मानक प्रयोगशाला अथवा ऐसी कोई जगह जहॉ राज्य सरकार द्वारा द्वितीयक मानक संधारित किया जाता हो, समंजन किया जाएगा ।

(8) **बाट और माप के भौतिक लक्षण , आकृति , संरचनात्मक व्योरे** :– प्रत्येक ऐसा बाट या माप, जिसका किसी संव्यवहार में या संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है या जो ऐसा उपयोग किए जाने के लिए आशायित है, भौतिक लक्षणों , आकृति, संरचनात्मक व्योरे , सामग्री ,कार्यशीलता, सहयता और ऐसे ही अन्य ब्योरों के विषय में विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 के अधीन विहित विनिर्देशों के अनुरूप होगा ।

(9) **बुलियन बाटों , केरेट बाटो आदि का उपयोग** :– (1) बुलियन बाट से भिन्न किसी बाट का बुलियन जैसा कि विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 में वर्णित है, के जिसके अन्तर्गत बहुमूल्य धातु, मोती और आभूषण और स्वर्ण या रजत की अन्य बस्तुऐं भी है, किसी संव्यवहार या संरक्षण में उपयोग नहीं किया जाएगा ।

(2) कैरेट बाट से भिन्न किसी वाट का बहुमूल्य रत्नों के किसी संव्यवहार या संरक्षण में उपयोग नहीं किया जाएगा ।
(3) केवल यथार्थता वर्ग 'क' या 'ख' या गैर –स्वचालित तौल यंत्र उच्च परिशुद्ध वर्ग (वर्ग ।।) या विशेष परिशुद्ध वर्ग (वर्ग –।) तुला का ही उप नियम (।) और (2) में निर्दिष्ट किसी संव्यवहार या संरक्षण में उपयोग किया जाएगा ।

(10) **कतिपय मामलों में केवल बाटों या केवल मापों या संख्याओं का उपयोग** :– अनुसूची 1 में विर्निदिष्ट वस्तुओं के सिवाय, प्रत्येक संव्यवहार, व्यवहार या संविदा में या संरक्षण के लिए मात्रा की घोषणा :–
(क) यदि वस्तु ठोस, अर्धठोस, विसकोष या ठोस और द्रव का मिश्रण है, तो वजन की इकाई के रूप में होगी,
(ख) यदि वस्तु का रेखीय माप द्वारा विक्रय किया जाता है तो लम्बाई की इकाई के रूप में होगी,